अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

पेशी

श्री

श्री

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

दीपक बनाम हजारी वगैरह (2020/00088)

31/12/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1/4,2 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या1/4 ने फर्द दस्तावेज के साथ अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं वाद संख्या 84/2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर द्वारा मूल वाद–पत्र को दिनांक 06.08.2024 बउनवान दीपक बनाम हजारी वगैरह को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया है, इसलिए अपील सारहीन हो चुकी है इसलिए अपील को खारिज फरमाया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर के समक्ष विचाराधीन मूल वाद–पत्र दिनांक 06.08.2024 को खारिज किया जा चुका है। चुंकि उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम की है, जो मूल वाद–पत्र के निस्तारण हो जाने से सारहीन हो चुकी है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner